पत्रांक - 164/XV दिनांक - 27-06-2020

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर

आदेश

जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक संख्या- 4894/आ०लि०-1/2020 दिनांक 26-06-2020 के माध्यम से यह आख्या प्राप्त हुयी है कि उपजिलाधिकारी सैदपुर एवं उपजिलाधिकारी मुहम्मदाबाद तथा मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा प्राप्त आख्या के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त दोनों ही वाह्य न्यायालय सम्प्रति उक्त द्वय क्षेत्रों में कोरोना पाजिटिव केस प्रकाश में आने के दृष्टिगत उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में कन्टेनमेंट जोन की परिधि में है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03 June, 2020 के द्वारा न्यायालय खोलने के संबंध में दी गयी गाईडलाईन के पैरा-14 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि कोई न्यायालय परिसर कंटेनमेंट जोन में आता है तो वहॉ का न्यायालय कंटेनमेंट जोन की अवधि तक के लिये बंद रहेगा।

अतः माननीय न्यायायल के उक्त निर्देश के अधीन वाह्य स्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद, गाजीपुर तथा वाह्य स्थित न्यायालय सैदपुर, गाजीपुर के न्यायालय कंटेनमेंट जोन में होने के कारण दिनांक 28-06-2020 को रविवार होने के कारण दिनांक 29-06-2020 से अग्रिम आदेश तक बंद किया जाता है। कंटेनमेंट जोन की अवधि समाप्त होने की सूचना जिला प्रशासन से प्राप्त होने पर, संबंधित न्यायालय को खोलने के बारे में सूचित किया जायेगा।

इस आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर, सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद, गाजीपुर, सिविल जज जूनियर डिवीजन सैदपुर, गाजीपुर तथा जनपद गाजीपुर के समस्त बार एसोसियेशन के अध्यक्ष/महासचिव को अविलम्ब भेजी जाये।

साथ ही आदेश की एक प्रति नोडल आफिसर कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित हो कि वे इसे जनपद न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे एवं आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वे इसका प्रकाशन दैनिक समाचारपत्रों में कराना सुनिश्चित करें।

Raghvendra 27/6/20

दिनांक 27-06-2020

जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर

जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर

Scanned with CamScanner